20

सं० 7/पी०एस०सी० 3-101/88-का०—2653

# कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

---

## संकल्प

28 फरवरी 1989

विभिन्न राज्य सेवाओं/संवर्गों के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं के संचालन एवं तत्संबंधी कार्यों में अत्यधिक वृद्धि के चलते बढ़ते कार्यभार तथा अन्य कार्यकलापों के भार को दृष्टिगत रखते हुए कार्मिकों की नियुक्ति/प्रोन्नति के मामलों में त्वरित निर्णय लेने के उद्देश्य से राज्य सेवाओं/संवर्गों के कई स्तरों के पदों पर प्रोन्नति के मामले में बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं होगा, के सम्बन्ध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 1174 दिनांक 24 जनवरी 1989 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 के विनियम 7(स) समाविष्ट होने के फलस्वरूप विभिन्न राज्य सेवाओं/संवर्गों के जिन पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति के मामले बिहार लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर रखा गया है, उन पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति के निमित्त चयन/अनुशंसा करने हेतु "विभागीय प्रोन्नति समिति" का गठन तथा उनकी कार्य-प्रणाली का निरूपण आवश्यक है।

2. "विभागीय प्रोन्नति समितियों" के गठन तथा उनकी कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में पूर्ण विचार कर राज्य सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है।—

(1) बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 के विनियम 7 में जो संशोधन किया गया है, वह सिर्फ राज्य सेवाओं/संवर्गों के लिए लागू होगा, अर्थात राज्य सेवाओं/संवर्गों के बाहर जो अन्य पद हैं, उनमें यथावत पहले की भांति जहां आवश्यक हो, लोक सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त की जायेगी। उसी प्रकार उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप विभिन्न राज्य सेवाओं/संवर्गों के जिन पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति का मामला लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर नहीं गया है, उन पदों पर भी पहले की भांति जहां आवश्यक हो, लोक सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त की जायगी। संशोधित नियमावली बिहार न्यायिक के बारे में लागू नहीं होगा। संशोधित विनियमावली के विनियम 7(स) की एक प्रति परिशिष्ट "क" के रूप में इसके साथ संलग्न है।

(2) विभागीय प्रोन्नति समितियों के गठन के प्रयोजनार्थ सरकार के विभागों को चार समूह में विभक्त किया गया है। प्रत्येक समूह के विभागों के लिए अलग/अलग विभागीय प्रोन्नति समिति/समितियां गठित की गई है। सम्प्रति सभी विभागों के अधीन अलग सेवा/सवर्ग नहीं है। कुछ ही विभागों के अधीन के सेवा तथा/अथवा संवर्ग है, अतः कालक्रम में समूह के किसी विभाग के अधीन सेवा संवर्ग गठित होने तक संबंधित कार्मिकों की नियुक्ति/प्रोन्नति के मामले में सम्बन्धित समूह के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति राज्य सरकार को अनुशंसा देने के लिये सक्षम होगी। वर्तमान में विद्यमान राज्य सेवाओं/संवर्गों की सूची परिशिष्ट 'ख' में अंकित है। भविष्य में कोई राज्य सेवा/संवर्ग गठित होने पर स्वतः परिशिष्ट 'ख' में समिलित किया गया है, समझा जायगा।

3. जैसाकिउपर कंडिका 2(2) में उल्लेख किया गया है, सरकार के विभागों को चार समूहों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार समूह में विभागों के प्रशासनाधीन राज्य सेवाओं/सवर्गों के पदों के निमित्त विभागीय प्रोन्नति समितियों का गठन परिशिष्ट "ग" के अनुसार किया जाता है। विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के लिए कोरम 4(चार) सदस्यों का होगा। परन्तु निजी सहायक संवर्ग के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के लिये कोरम 3(तीन) सदस्यों का होगा।

4. संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष से तिथि एवं समय लेकर समिति के सदस्यों की बैठक की सूचना देना बैठक के लिये टिप्पणी तैयार करना तथा अन्य सभी कागजात जैसे स्वच्छता प्रमाण-पत्र, चारित्री आदि अद्यतन कर अध्यक्ष एवं सदस्यों को देने की जिम्मेवारी संबंधित प्रशासी विभाग की होगी। इसी प्रकार बैठक के बाद अध्यक्ष की अनुमति लेकर बैठक की कार्यवाही तैयार करना और उसपर अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का हस्ताक्षर प्राप्त करना भी प्रशासी विभाग की जिम्मेवारी होगी। विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वे इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन अलग से भी दे सकेंगे।

5. प्रशासी विभाग की यह जिम्मेवारी रहेगी कि प्रत्येक पंचांग वर्ष में होनेवाली रिक्तियों के विरुद्ध इसके पहले वर्ष के दिसम्बर तक विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अगले वर्ष में प्रोन्नति देने के लिये एक पैनल तैयार कराये ताकि अगले वर्ष में होनेवाली रिक्तियों के विरुद्ध समय पर प्रोन्नति का आदेश निर्गत किया जा सके।

6. चूंकि वर्ष 1989 प्रारम्भ हो गया है, इसलिये 1989 के लिये सभी कार्रवाई 30 अप्रील 1989 तक अवश्य ही पूरी कर ली जाय। तदनुसार वर्ष 1990 के लिये पैनल दिसम्बर, 1989 तक अवश्य ही तैयार कर ली जायेगी।

7. यह व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

8. इस संकल्प के निर्गत होने के फलस्वरूप पूर्व में एतद्संबंधी संकल्प।निदेश।परिपात्र आदि उस हद तक संशोधित समझे जायेंगे जिस हद तक इस संकल्प के प्रावधान के अनुसार आवश्यक हो।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एम० एल० मजूमदार, सचिव।

## कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

---

### अधिसूचना

24 जनवरी 1989

स० 7।पी०एस०सी० 3-101।88-1-का०—1174—भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नियुक्ति विभाग (सम्प्रति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) की अधिसूचना संख्या ए०-8767, दिनांक 8 जुलाई 1975 के साथ प्रकाशित एवं समय-समय पर यथासंशोधित बिहार लोक सेवा आयोग (कार्य-सीमन) विनियमावली, 1957 में निम्नलिखित अतिरिक्त विनियम समाविष्ट करते हैं :—

#### संशोधन

विनियम 7(अ) एवं 7(ब) के नीचे 7(स) निम्न रूप में समाविष्ट किया जाता है :—

"7(स) राज्य सेवाओं।संवर्गों के विभिन्न वेतनमान में निम्न नियुक्तियों।प्रोन्नतियों को छोड़कर अन्य मामले में बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा :—

(i) राज्य सेवाओं।संवर्गों की मूल कोटि (बेसिक ग्रेड) के पदों पर नियुक्ति।प्रोन्नति।

(ii) राज्य सेवाओं।संवर्गों के सुपरटाइम स्केल (विभिन्न सेवाओं।संवर्गों में इसके जो भी नामकरण किये गये हों), जिस-जिस में अनुमान्य हो, के प्रथम स्तर के पदों पर नियुक्ति।प्रोन्नति।

स्पष्टीकरण—सुपरटाइम स्केल वह वेतनमान है जो वरीय प्रवर कोटि वेतनमान के ठीक ऊपर का वेतनमान सम्बन्धित राज्य सेवाओं।संवर्गों में उपलब्ध हो।

(iii) किसी भी सेवा।संवर्ग में विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति।प्रोन्नति।

परन्तु यह कि यह अखिल भारतीय सेवाओं एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए लागू नहीं होगा।

(iv) सचिवालय विभागों एवं संलग्न।सम्बद्ध कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग के निबंधक तथा उसके समकक्ष पदों पर नियुक्ति।प्रोन्नति।

(v) सचिवालय के निजी सहायक संवर्ग में सचिव के पदों पर नियुक्ति।प्रोन्नति।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एम० एल० मजूमदार, सचिव।

777



# APPENDIX A

## Department of Personnel and Administrative Reforms

---

### NOTIFICATION

*The 24th January* 1989

No. 7,PSC 3-101/88-P—1174—4—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (3) of article 320 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Bihar Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1957 published vide Appointment's Department's (now Department of Personnel and Administrative Reforms) notification no. 8767, dated the 8th July 1967.

AMENDMENTS

In the said regulation after regulation 7(A) and 7(B) regulation 7(C) shall be inserted, as below :—

"7(C) It shall not be necessary to consult the Public Service Commission in the case of appointment/promotion to posts in different scales of pay of the State Services/Cadres except in the following cases :—

(*i*) In the case of appointment/promotion to posts in the basic grade of State services/cadres ;

(*ii*) In the case of appointment/promotion to the posts in the first level of supertime scale (by whatever name such a scale is known in the service/cadre concerned) where admissible :

*Explanation.*—Supertime scale means the scale of pay which is available to the officers of the State Service Cadre concerned immediately above the senior selection grade scale of pay ;

(*iii*) In the case of appointment/promotion to the post of a Head of the Department

Proided that it shall not apply in the case of appointment to the post of Head of the Department of Officers of the All India Services and the Bihar Admnistrative Services ;

(*iv*) In the case of appointment/promotion to post of Registrar and other equivalent posts available to the members of the joint cadre of assistant of the Secretariat departments and attached /amalgamated offices ;

(*v*) In the case of appointment/promotion to the post of Secretary in the Cadre of personel assistant of the Secretariat."

By order of the Governor of Bihar,
M.L.MAZUMDAR, Secy.

परिशिष्ट "ख"

राज्य सेवाओं।संवर्गों की सूची

(क) राज्य सेवायें

1. बिहार प्रशासनिक सेवा।
2. बिहार पशुपालन सेवा।
3. बिहार कृषि सेवा।
4. बिहार सहकारिता सेवा।
5. बिहार शिक्षा सेवा।
6. बिहार अभियंत्रण सेवा।
7. बिहार वित्त सेवा।
8. बिहार वन सेवा।
9. बिहार स्वास्थ्य सेवा।
10. बिहार कारा सेवा।
11. बिहार न्यायिक सेवा।
12. बिहार श्रम सेवा।
13. बिहार आरक्षी सेवा।
14. बिहार निबंधन सेवा।

(ख) राज्य संवर्ग

1. बिहार नियोजन संवर्ग।
2. बिहार उत्पाद संवर्ग।
3. बिहार मत्स्य पालन संवर्ग।
4. बिहार भूतत्व संवर्ग।
5. बिहार उद्योग संवर्ग।
6. बिहार खनन संवर्ग।
7. बिहार सांख्यिकी संवर्ग।
8. बिहार नगर निवेश संवर्ग।
9. बिहार प्रशिक्षण संवर्ग।
10. सचिवालय विभागों एवं संलग्नक।संबद्ध कार्यालयों के सहायकों का संयुक्त संवर्ग।
11. सचिवालय के निजी सहायकों का संयुक्त संवर्ग।

नोट--भविष्य में गठित होने वाले राज्य सरकार के सेवा।संवर्ग की इस सूची में समाविष्ट माने जायेंगे।

15)-

## परिशिष्ट "ग"

### समूह (क)—विनियंत्रण संबंधी विभाग

1. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (निगरानी, निर्वाचन, प्रोटोकोल तथा मुख्य मंत्री सचिवालय सहित।)
2. गृह विभाग।
3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग।
4. राजभाषा विभाग।
5. संसदीय कार्य विभाग।
6. वित्त विभाग।
7. खान एवं भूतत्व विभाग।
8. परिवहन एवं नागरिक उड्डयन विभाग।
9. सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग।
10. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
11. उत्पाद एवं मद्य-निषेध विभाग।
12. साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग।
13. विधि विभाग।

### समूह (ख)—कार्य विभाग

1. जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई सहित)।
2. लोक-स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।
3. पथ-निर्माण विभाग।
4. भवन-निर्माण एवं आवास विभाग।
5. ग्रामीण विकास विभाग (केवल ग्राम्य अभियंत्रण संगठन)।

### समूह (ग)—विकासात्मक विभाग

1. योजना एवं विकास विभाग।
2. ग्रामीण विकास विभाग (ग्राम्य अभियंत्रण संगठन रहित)।
3. नगर विकास विभाग।
4. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।
5. औद्योगिक विकास विभाग।

### समूह (ग)—विकासात्मक विभाग

6. ईख विभाग।

7. वन तथा पर्यावरण विभाग।

8. कृषि विभाग।

9. सहकारिता विभाग।

10. पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग।

11. ऊर्जा विभाग।

12. पर्यटन विभाग।

13. 20-सूत्री कार्यक्रम विभाग।

### समूह (घ)—सेवा विभाग

1. मानव संसाधन विकास विभाग।

2. स्वास्थ्य विभाग।

3. चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

4. परियोजना एवं सांख्यिक वित्त विभाग।

5. श्रम, परिनियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

6. खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग।

### विभागों का समूहन तथा विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन।

| समूह "क"—विनियंत्रण सम्बन्धी विभाग | गठित विभागीय प्रोन्नति समिति |
|---|---|
| 1. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (निगरानी, निर्वाचन, प्रोटोकोल तथा मुख्यमंत्री सचिवालय सहित)। | (क) (1) सदस्य, राजस्व परिषद्—अध्यक्ष। |
| | सदस्यगण |
| 2. गृह विभाग .. .. .. | (2) सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग। |
| 3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग .. | (3) सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग। |
| 4. राजभाषा विभाग .. .. | (4) सम्बन्धित विभाग जिसके प्रशासनाधीन सेवा। संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में विचार होना है उस विभाग के सचिव बशर्ते कि वे अलग से इस समिति का सदस्य न हों। |
| 5. संसदीय कार्य विभाग .. .. | (5) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से निम्नतर के न हों। |
| 6. वित्त विभाग .. .. | (6) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति।अनुसूचित जन-जा के पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों। |

तर

12



| समूह "क"--नियंत्रण संबंधी विभाग | गठित विभागीय प्रोन्नति समिति |
|---|---|
| 7. खान एवं भूतत्व विभाग | |
| 8. परिवहन एव नागरिक उड्डयन विभाग | |
| 9. सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग | |
| 10. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | |
| 11. उत्पाद एवं मद्य-निषेध विभाग | |
| 12. साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग | |
| 13. विधि विभाग .. .. .. | (ख) परन्तु बिहार प्रशासनिक सेवा के सुपर टाईम श्रेणी II एवं III तथा बिहार आरक्षी सेवा के वरीय प्रवर कोटि के आरक्षी उपाधीक्षक के पदों के विभागीय प्रोन्नति समिति निम्न प्रकार गठित होगी-- |
| | (1) मुख्य सचिव--अध्यक्ष। |
| | सदस्यगण |
| | (2) सचिव, कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग। |
| | (3) मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत 7,300--7,600 रु० वेतनमान में भा० प्र० से० के दो पदाधिकारी। |
| | (4) सचिव, गृह विभाग (केवल आरक्षी उपाधीक्षक के लिये)। |
| | (5) आरक्षी महानिदेशक (केवल आरक्षी उपाधीक्षक के लिये)। |
| | (6) कार्मिक विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति। अनुसूचित जन-जाति के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव के न्यूनतर पंक्ति के न हो। |

| 2. समूह "ख"--कार्य विभाग | गठित विभागीय प्रोन्नति समिति |
|---|---|
| 1. जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई सहित) | (1) सचिव, जल संसाधन विभाग--अध्यक्ष। |
| | सदस्यगण |
| 2. लोक-स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | (2) सचिव पथ, निर्माण विभाग। |
| 3. पथ निर्माण विभाग .. .. .. | (3) सचिव, लोक-स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। |
| 4. भवन निर्माण एवं आवास विभाग .. | (4) अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण एवं आवास विभाग। |
| 5. ग्रामीण विकास विभाग (केवल ग्राम्य अभियंत्रण संगठन)। | (5) संबंधित प्रशासी विभाग, जिसके प्रशासनाधीन सेवा।संवर्ग के पदों के संबंध में विचार होना है उस विभाग के सचिव बशर्त्ते कि वे अलग से इस समिति के सदस्य न हो। |

| 2 समूह "ख"—कार्य विभाग | गठित विभागीय प्रोन्नति समिति |
|---|---|
| | (6) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर न हो। |
| | (7) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति।अनुसूचित जन-जाति के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव के न्यूनतर पंक्ति के न हों। |

| 3. समूह "ग"—विकासात्मक विभाग | गठित विभागीय प्रोन्नति समिति |
|---|---|
| 1. योजना एवं विकास विभाग .. .. | (1) कृषि उत्पाद आयुक्त—अध्यक्ष। |
| | सदस्यगण |
| 2. ग्रामीण विकास विभाग (ग्राम्य अभियंत्रण संगठन रहित)। | (2) सचिव, सहकारिता विभाग। |
| 3. नगर विकास विभाग .. .. | (3) सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग। |
| 4. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग .. .. | (4) सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग। |
| 5. औद्योगिक विकास विभाग .. .. | (5) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर न हों। |

| 4 .समूह "ग"—विकासात्मक विभाग | गठित विभागीय प्रोन्नति समिति |
|---|---|
| 6. ईख विभाग .. .. .. | (6) संबंधित प्रशासी विभाग, जिसके प्रशासनाधीन सेवा।संवर्ग के पदों के संबंध में विचार होना है उस विभाग के सचिव बशर्ते कि वे अलग से इस समिति के सदस्य न हो। |
| 7. वन एवं पर्यावरण विभाग .. .. | (7) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति।अनुसूचित जन-जाति के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों। |
| 8. कृषि विभाग | |
| 9. सहकारिता विभाग | |
| 10. पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग | |
| 11. ऊर्जा विभाग | |
| 12. पर्यटन विभाग | |
| 13. 20-सूत्री कार्यक्रम विभाग | |

| 5 समूह "घ"—सेवा विभाग | गठित विभागीय प्रोन्नति समिति |
|---|---|
| 1. मानव संसाधन विकास विभाग .. .. | (1) अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो—अध्यक्ष। |
| | सदस्यगण |
| 2. स्वास्थ्य विभाग .. .. .. | (2) सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग। |

| 5 समूह "घ" विकासात्मक विभाग | | गठित विभागीय प्रोन्नति समिति |
|---|---|---|
| 3. चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग | .. | (3) सचिव, स्वास्थ्य विभाग। |
| 4. परियोजना एवं सांख्यिक वित्त विभाग | .. | (4) संबंधित प्रशासी विभाग जिसके प्रशासनाधीन सेवा।संवर्ग के पदों के संबंध में विचार होना हो, उस विभाग के सचिव बशर्ते कि वे अलग से इस समिति के सचिव न हों। |
| 5. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग | .. | (5) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर न हों। |
| 6. खाद्य, आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग | .. | (6) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति।अनुसूचित जन-जाति के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव के न्यूनतर पंक्ति के न हों। |

सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग के निबंधक से नीचे स्तर के पदों पर प्रोन्नति के मामले पर अनुशंसा करने के लिये विभागीय प्रोन्नति समिति निम्न प्रकार गठित होगी—

(1) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के विशेष।अपर।संयुक्त।उप-सचिव जो संयुक्त सवर्ग के प्रभार में में हों—अध्यक्ष।

सदस्यगण

(2) वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि जो उप-सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों।

(3) मानव संसाधन विकास विभाग के स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी जो उप-सचिव के न्यूनतर पंक्ति के न हों।

(4) जल संसाधन विकास विभाग के स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी जो उप-सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों।

(5) कृषि विभाग के स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी जो उप-सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों।

(6) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति।अनुसूचित जन-जाति के पदाधिकारी जो उप-सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों।

सचिवालय निजी सहायक संवर्ग के सचिव स्तर से नीचे के पदों पर प्रोन्नति के मामले पर अनुशंसा करने के लिये विभागीय प्रोन्नति समिति निम्न प्रकार गठित होगी.—

(क) आप्त सचिव के पदों के लिये—

(1) सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग—अध्यक्ष।

सदस्यगण

(2) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रभारी विशेष।अपर। संयुक्त।उप-सचिव।

(3) वित्त विभाग का एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर पंक्ति का न हो।

(4) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति।अनुसूचित जन-जाति का एक पदाधिकारी जो उप-सचिव से न्यूनतर पंक्ति का न हो।

(ख) वरीय निजी सहायक के पदों के लिये—

(1) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रभारी विशेष।अपर।संयुक्त।उप-सचिव—अध्यक्ष।